न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
036/2020 (नि.पं.) (GCMS 2020/00160)	06.03.2020	11.09.2024

अनवान

पंचायत समिति निम्बाहेडा जरिये विकास अधिकारी निम्बाहेडा, पंचायत समिति निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार

बनाम

1. श्रीमती शांतिबाई पत्नी भंवरलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति निम्बाहेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

गैर–निगराकारान

उपस्थिति :– बीएल पोखरना — अधिवक्ता निगराकार
अनुपस्थित — गैर–निगराकार संख्या 1, 2

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त कराये जाने आबादी भूमि का पट्टा संख्या 050 बुक संख्या 254 दिनांक 20.03.2013 जो विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जारी किया को निरस्त कराये जाने

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के विरूद्ध अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 20.03.2013 जो कि गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर–निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा से मूल अभिलेख तलब किया गया। कार्यालय ग्राम पंचायत, सतखण्डा के पत्रांक/निल दिनांक 06.06.2022 से मूल अभिलेख प्रेषित किया गया जो कि वर्तमान में दीगर प्रकरण संख्या 003/2020 (नि.पं.) के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 14.12.2022 को गैर–निगराकार संख्या 2 के बावजूद सूचना के

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

हाजिर नहीं आने से गैर–निगराकार संख्या 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। दिनांक 31.07.2024 को गैर–निगराकार संख्या 1 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर–निगराकार संख्या 1 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया।

इस पर हाजिर अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हाजिर अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 20.03.2013 को विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत सतखण्डा के द्वारा विपक्षी संख्या 01 को पट्टा संख्या 050 जारी किया। जिसकी कुल 20 व्यक्तियों की एक ही पत्रावली तैयार की गई। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पात्रता की जांच नहीं की गई। रियायती दर पर नियम विरूद्ध पट्टे दिये गये। रियायती दर पर पात्रता व कारणों का उल्लेख नहीं किया है। विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा जारी करने के पश्चात् 2 वर्ष की अवधि में कोई मकान का निर्माण कार्य भी नहीं किया और इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को नियम विरूद्ध अवैध एवं गलत पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योगय है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जो रियायती दर पर पट्टा जारी किया उस संबंध में पात्रता की कोई जांच नहीं की गई और बिना जांच के आधार पर रियायती दर पर जो पट्टा जारी किया है वह नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आलोच्च पट्टा जारी किये जाने के पूर्व विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा कोई नक्शा नहीं बनाया गया न नियमानुसार नक्शें का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा कराया गया। प्लान अनुसार अंकित आराजी में कोई भी भूखण्ड निलामी से विक्रय नहीं किये गये। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141 के अनुसार पंचायत द्वारा भूमि के सभी विक्रय साधारणतया नीलामी के माध्यम से किये जायेंगे जब तक कि ऐसा न करने के विशेष कारण न हो। इस तरह का कोई विशेष कारण अभिलिखित किये बगैर जो रियायती दर पर पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है वह नियम विरूद्ध जारी किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है और ऐसा करने से ग्राम पंचायत को अत्यधिक आर्थिक हानि भी हुई है। मात्र विपक्षी संख्या 1 को उपकृत करने के उद्देश्य से मिलजुलकर अनुचित लाभ देने के लिए विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा आलौच्च पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जांच समिति रिपोर्ट दिनांक 31.01.2019 को अवलोकन कराया एवं बताया कि भैरूलाल रेगर नामक व्यक्ति ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक जनहित याचिका दायर संख्या 11614/2018 प्रस्तुत की जिसमें जांच के आदेश दिए। जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गइन किया गया जिसमें एक सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) एवं दो पंचायत प्रसार अधिकारी सदस्य रहे है। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2019 में जांच समिति ने आलौच्य पट्टे पंचायतीराज नियमों के प्रावधानों अनुसार नहीं पाए व उनमें अधिनियम के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2019 को तथ्य प्रकाश में आये जाने से यह निगरानी बिना देरी के पेश की जा रही है। अन्त में अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रार्थना की गई कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 20.03.2013 विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध गलत मनमाने ढंग से जारी किये जाने के कारण निरस्त फरमाया जाए अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थी निगराकार को प्रदान फरमाया जावें। इसी प्रार्थना के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97 Power of revision and review by Government.-

(1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:
Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2050/3690

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दिनांक 13.12.2050 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है।निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधान किये गये है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। हमने नियम 140 से 159 तक का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में नियम 140 से नियम 159 तक में भूखण्ड नीलामी के प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है, जो कि बाध्यकारी है। नियम 141 में प्रावधित किया गया है कि भूमि का विक्रय साधारणतया नीलमी के माध्यम से किये जायेगें जब तक की ऐसा ने करने के लिए विशेष कारण न हो। पंचायत ऐसी भूमियों का अग्रिम रूप से नियत किये गये निलामी कार्य्रक्रम के माध्यम से विक्रय करने का विनिश्चय कर सकेगी। नियम 142 के तहत आबादी के विकास के लिए भूमि पंचायत को अंतरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज्य विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। आवासीय वाणिज्यिक क्षेत्रों और अन्य परियोजनाओं के लिए स्कीमें अनुमोदित विकास योजना के अनुसार तैयार की जायेगी। ऐसी स्कीमों का क्रियान्वयन अनुमोदित प्लान के अनुसार ही किया जायेगा। नियम 143 में आबादी क्षेत्रों में भूखण्डों के नीलामी के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। नियम 145 के तहत आबादी भूमि या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा जो क्रया के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो। नियम 146 के तहत तीन पंचों की कोई समिति 15 दिवस के भीतर–भीतर स्थल का निरीक्षण कर आवेदित विक्रय की वांछनीयता को संबंध में पंचायत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। नियम 147 के तहत पंचायत बैठक में अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करेगी कि प्रस्तावित विक्रय किया जाय या नहीं। नियम 148 के तहत पंचायत अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करे कि विक्रय किया जाये तो वह उप–नियम 2 में अधिकथित रीति से प्रपत्र 22 में नोटिस प्रस्तावित विक्रय के संबंध में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। नियम 148 के तहत आमंत्रित आक्षेपों का नियम 149 के तहत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुऐ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निपटारा किया जावेगा। नियम 150 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित भूमि के किसी ऐसी तारीख को जो संकल्प के आदेश की तारीख से एक मास से पूर्व की न हो, और विनिर्दिष्ट किये जाने वाले समय और स्थान पर नीलाम का आदेश देगी। नियम 151 के तहत नीलामी समिति का गठन किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। नियम 152 के तहत बाजार कीमत का प्रावधान प्रावधित है। नियम 154 के तहत बोली की स्वीकृति विहित प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन होगी। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्ग गज की की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह–स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। उप–नियम 2 में वसूली योग्य दरे प्रावधित की गई है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। उप–नियम 3 के तहत इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बडे अक्षरों में **''विक्रय के लिए नहीं''** की मुहर लगाई जायेगी। नियम 159 में भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विकता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को (जो कमीशंड रैंकों के नहीं है) जिनके पास किसी भी आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं है, नियम 152 के उप–नियम (5) में उल्लिखिति बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन/अध्ययन/परिशीलन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख से जाहिर होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई प्लान/योजना के संबंध मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई नक्शा, ले–आउट प्लान इत्यादि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क/रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई प्लान/योजना नहीं किया जाना जाहिर होता हैं। पंचायतीराज नियम 158 एवं 159 के तहत आवंटित भूखण्ड के संबंध में नियम 152 के तहत बाजार कीमत का प्रावधान प्रावधित है। नियम 152 के तहत निर्धारित बाजार कीमती के आधार पर रियायती दरों पर भूखण्ड आंवटित किये जा सकते है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली पर इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। आवेदक के प्रार्थना पत्र में भूखण्ड का किसी भी प्रकार से नाप–चौक क्षेत्रफल इत्यादि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं है। भूखण्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के संबंध में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण–पत्र नहीं है। ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा जारी सूचना पत्र बाबत् आबादी भूमि प्रस्तावित विक्रय संबंध में आक्षेप आमंत्रित किये जाने वाले प्रारूप को किस रीति से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रथम दृष्टवा ही यह मात्र खाना–पूर्ति प्रतीत होता है। इसके साथ ही पट्टो की जांच हेतु गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि **ग्राम पंचायत सतखण्डा के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा पंचायतीराज नियमों के विरूद्ध बिना नक्शा अनुमोदन कराये व पात्रता की जांच कराये बिना व सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये है। प्लान अनुसार अंकित आराजी में कोई भी भूखण्ड निलामी से विक्रय नहीं किये गये है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 के अनुसार ''भूमि का विक्रय किसी पंचायत द्वारा भूमि के सभी विक्रय साधारणतया नीलाम के माध्यम से किये जायेगें जब तक ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हो'' किन्तु तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा नियमों से परे जाकर सभी भूखण्ड निःशुल्क एवं रियायती दर पर दिये गये है जबकि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा नीलाम किये जाते तो ग्राम पंचायत को उस समय की जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेटी द्वारा अनुमोदित आवासीय दरों अनुसार अनुमानित 57 लाख रूपये की आय हो सकती थी। जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि हुई है।** इसके साथ ही गैर–निगराकारन प्रकरण में अनुपस्थित रहे है ऐसी स्थिति में निगराकार की निगरानी का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा हस्तगत विवादित पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों एवं प्रावधानो की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति निम्बाहेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित बुक संख्या 254 पट्टा संख्या 050 दिनांक 20.03.2013 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति निम्बाहेडा द्वारा विवादित बुक संख्या 254 पट्टा संख्या 050 दिनांक 20.03.2013 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा जारी बुक संख्या 254 पट्टा संख्या 050 दिनांक 20.03.2013 जो कि गैर निगराकार संख्या 1 श्रीमती शांतिबाई पत्नी भंवरलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी निम्बाहेडा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख दीगर प्रकरण संख्या 003/2020 (नि.पं.) के साथ हम किता रहे। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **11.09.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official